

कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय मुंगेली जिला मुंगेली (छ0ग0)

Official Website - <https://mungeli.dcourts.gov.in>

—:: संक्षिप्त विज्ञापन ::—

क्रमांक— 390 / दो-12-4 / 2023

मुंगेली, दिनांक 22 जुलाई 2026

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 12 अगस्त 2026 शाम 05.00 बजे तक
स्पीड पोस्ट के माध्यम से

(अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। डाक विभाग की ओर से की गई किसी भी देरी के लिए चयन समिति जिम्मेदार नहीं होंगी)

कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय मुंगेली जिला-मुंगेली (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत सहायक ग्रेड-03 के रिक्त 04 पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से इस विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 12 अगस्त 2026 को शाम 05.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण :-

क्र .	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	आरक्षित पद											अनारक्षित पद (General)				
			अनुसूचित जनजाति (ST)				अनुसूचित जाति (SC)				अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)							
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	सहायक ग्रेड-03 (साक्ष्य लेखक, ऑफिस टायपिस्ट, आदेशिका लेखक एवं सेल अमीन)	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	योग	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—

नोट :-

- आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या में परिवर्तन, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPC No. 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित किये गये आदेश एवं उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर पारित किये जाने वाले निर्णयों/आदेशों के अध्याधीन होगी।
- महिला/भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाने

- की दशा में अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों के वरियता के आधार पर चयन किया जायेगा।
3. विज्ञापन में कोई भी Corrigendum जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

सीधी भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय मुंगेली के वेबसाइट <https://mungeli.dcourts.gov.in> पर देखी जा सकती है।

सही /—
अध्यक्ष
भर्ती समिति
कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
मुंगेली (छ0ग0)